फाइल नं0-71-1099(099)/3/2021

160/2023/I/457052/2023

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 27 दिसम्बर, 2023

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 में केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-1) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज में 50 यू0जी0 सीटों की वृद्धि के दृष्टिगत भवन निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-1) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज में 50 यू0जी0 सीटों की वृद्धि के दृष्टिगत भवन निर्माण कार्य हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा आकलित लागत रू0 4700.05 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में **रू0 1175.00 लाख (रू0 ग्यारह करोड़ पचहत्तर लाख मात्र)** केन्द्रांश के रूप में पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से एस0एन0ए0 खाते में हस्तान्तरित किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनॉक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. प्रायोजनान्तर्गत आवासीय भवनों में एकास्टिक वुडेन पैनलिंग, एकास्टिकल फेब्रिक वाल पैनलिंग, फाइबर फाल्स सीलिंग, मैटल फाल्स सीलिंग, यू0पी0बी0सी0 एंव वी0आर0वी0/वी0आर0एफ0 सिस्टम आदि विशिष्टियां सम्मिलित है।
3. प्रायोजनान्तर्गत रू0 120.00 लाख फर्नीचर क्रय हेतु अनुमन्य किये गये है, जिसका क्रय एंव स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।
4. प्रायोजना हेतु वाह्य विद्युत संयोजन हेतु एकमुश्त आधार पर रू0 50.00 लाख अनुमन्य किये गये है। इसका वास्तविक विस्तृत आगणन प्राप्त कर तथा सक्षम स्तर से इन पर तकनीकी स्वीकृति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्राप्त करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाए एंव भुगतान वास्तविकता के आधार पर किया जाएगा।

5. प्रायोजना प्रस्तावित बाजार दर पर प्रस्ता/वित कार्यमदों जिनकी लागत कोटेशनआगणन में प्रस्ता/ की गयी है , के क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओंअधिकृत / र्धा के आधार पर दरें प्राप्तवितरको से प्रतिस्प करें। चूंकि यह प्रोपराइटरी श्रेणी के कार्य हैं एंव इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक , माडल एवं स्पेसिफिकेश्न के अंतर से लागत में अंतर आना स्वाभाविक है। निर्माण के समय इनका क्रय एंव स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाए।
6. प्रायोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत की दर से निर्माण लागत पर जी0एस0टी0 की धनराशि प्रस्तावित की गयी है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत परिपत्र दिनांक 03.08.2022 के अनुसार सिविल निर्माण कार्यो पर दिनांक 18.07.2022 से जी0एस0टी0 की दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गयी है , जिसके दृष्टिगत लागत का आंकलन 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 अनुमन्य कर किया गया है। जी0एस0टी0 की देयता वास्तविकता के अनुसार होगी तथा प्रधानाचार्यकार्यदायी / र से यह सुनिश्चित द्वारा अपने स्तसंस्था किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।
7. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरणसक्षम/ लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाए।
8. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत् मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/संबंधित प्रधानाचार्य का होगा।
9. प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाए।
10. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित विशिष्टियों एवं प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है , जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एंव अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
11. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान एवं भविष्य में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
12. भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13. प्रश्नगत कार्य के लिए निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

14. कार्य की गुणवत्ता , मानक एवं विशिष्टियों तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी महानिदेशक /प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
15. महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो की दुरावृत्ति नहीं हो रही है।
16. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/मेडिकल कालेज के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
17. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा , जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
18. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि को बैक खाते/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
19. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।
20. संबंधित परियोजना के आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 11,75,00,000 (रुपये ग्यारह करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आयव्ययक मे- अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031050127 एम0बी0बी0एस0 एवं पी.के) पाठ्ययक्रमों की सीटों में वृद्वि .जी.60-रा.40/के(. मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-3-250 /दस-2023-24, दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0 पी0 सिंह)
उप सचिव

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज।
4. अन सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम , लि0 लखनऊ।
8. श्री आनन्द कुमार त्रिपाठी, उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।